## प्रारूप 28 [नियम 54, नियम 58 (1), (3) और (4) देखिए।]

(आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र और प्रमाणपत्र देने के लिए आवेदन यदि यान अवक्रय/पट्टा/अडमान के करार के अधीन धारित है तो चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए। रिजस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी के पृष्ठांकन के साथ दूसरी प्रति, तीसरी प्रति और चौथी प्रति आक्षेप न होने के प्रमाणपत्र के मिलने/इंकार किए जाने पर यान के रिजस्ट्रीकृत स्वामी, ऐसे रिजस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी, के प्रमाणपत्र के मिलने/इंकार किए जाने पर यान के रिजस्ट्रीकृत स्वामी, ऐसे रिजस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी, जिसकी अधिकारिता से यान हटाया जाना है, और साथ-साथ वित्त पोषक को वापस की जाएगी।)

भाग-1

## आवेदन पत्र

	जापपा पत्र	
सेवा में,		
	रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी	
इरादा है	मेरा / हमारा यान को श्री / श्रीमती / कुमारी की अिं रिजस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी की अिं / अतः मैं / हम अपने यान के लिए '' आक्षेप न होने का प्रमाण ष्टियाँ नीचे दि जाती हैं:-	व्रेकारिता में निवास करता है / करती है, विक्रय करने का
1.	नाम और पता	
2.	पिता / पति का नाम	
3.	यान का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	
4.	यान का वर्ग	
5.	वह रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी जिसने यान को मूल रूप से रजिस्टर किया था।	
6.	इंजन संख्यांक	
7.	चेसिस संख्यांक (पेंसिल प्रिंट भी लगाएँ)	
8.	राज्य में ठहरने की अवधि	
9.	वह अवधि जिस तक मोटर यान कर का संदाय किया गया है	
10.	क्या कर के लिए कोई मांग लम्बित है, यदि हो तो ब्यौरा दें	
11.	क्या यान किसी चोरी के मामले में अन्तर्वलित है, यदि हो तो ब्यौरा दें	
12.	क्या मोटर यान अधिनियम,1988 की धारा 53, धारा 54 या धारा 55 के अधीन कोई कार्यवाही किसी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या अन्य विहित प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है, यदि हाँ तो ब्यौरा दें	
13.	क्या यान प्रतिपद्ध माल के किसी मामले में अन्तर्वलित है यदि हाँ तो ब्यौरा दें	
14.	क्या यान किसी अवक्रय / पट्टा / आडमान करार के अधीन धारित है, यदि हाँ तो वित्त पोशक का पूरा नाम और पता दें मैं / हम सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ / करते हैं कि उक्त कथन	न सही है।

तारीख		रजिस्ट्रीकृत स्वामी के हस्त	क्षर या अंगूठे का निशान
	भाग—2		
	किसी करार के अधीन मोटर यान की दशा में वि	वेत्त पोषक की सहमति	
;	मैं / हम उपरोक्त यान की बावत् अवक्रय / पट्टा / आडमान करार का	/के एक पक्षकार हैं/हूँ।	
देता हूँ / दे	<ol> <li>उपरोक्त यान के ऊपर निर्दिष्ट-प्रायोजन के लिए "आक्षेप देते हैं।</li> </ol>	न होने का प्रमाणपत्र'' जार्र	ो किए जाने की सहमति
र्भ इंकार व	2. उपरोक्त यान के लिए ''आक्षेप न होने का प्रमाणपत्र'' जारी करता हूँ।	किए जाने की सहमति देन	ने में निम्नलिखित कारणों
तारीख			वित्त पोषक के हस्ताक्षर
	भाग—3 कार्यालय पृष्ठांकन		
	(मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 48 (3) के अधीन ''आक्षेप न हो	ने का प्रमाणपत्र'' देने / देने	से इंकार किया जाना)
	(1) यान जिसका विस्तृत ब्यौरा ऊपर अभिलिखित है, की , 1988 की धारा 48 (3) के अधीन दिया जाता है।	वावत् ''आक्षेप न होने का	प्रमाणपत्र'' मोटर यान
	(उस रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी जिस पर यह जारी किया गया है के प्रय	प्रोग के लिए)	
	(2) मोटरयान जिसका विस्तृत ब्यौरा ऊपर अभिलिखित है की ''आक्षेप न होने का प्रमाण–पत्र'' दिया जाना निम्न लिखित कारणों र	बावत् मोटर यान अधिनियम प्ते इंकार किया जाता है——	, 1988 की धारा 48 (3)
तारीख		रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी	ो के हस्ताक्षर मुद्रा सहित
		पता	
* जो ला	गू न हो उसे काट दीजिए		
†	रजिस्ट्रीकृत स्वामीवित्त पोषकरिजस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारीरिजस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकृत रसीदी डाक से भेंजे)		